2.12.19 [illegible] No. III

[illegible]

(नियम 26)

न्यायालय नायब तहसीलदार मसूदा, जिला-अजमेर (राजस्थान)

सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाज .....बनाम सुनार/मंगला व गेन्दु/सरवरी, गेरान निवासी रूपाखेल, तहसील-पीपलाज

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 L R Act. मुकदमा नम्बर.....01/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-01-2019	आज यह रिपोर्ट पटवारी हल्का.....पीपलाज..... द्वारा भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 L.R. Act. के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक.....07/01/2019.....को पेश हो। तहसीलदार, मसूदा (जिला अजमेर)	
7.1.2019	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थी गण द्वारा नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी को अंतिम बार नोटिस किया जाता है। अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर लगान की 50 गुणा राशि आरोपित करने के आदेश दिये जाते है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के कक्ष हो। तहसीलदार-मसूदा जिला-अजमेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2019.12.09 10:49:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner